



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/2010/23190-23779 दिनांक: 16 अगस्त, 2010
सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

समस्त इंजी० एण्ड मैनेजमेंट संस्थाएं ।

विषय: संस्था के फीस स्ट्रक्चर को छात्रों/छात्राओं के अभिभावकों को उपलब्ध कराने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा छात्रों/अभिभावकों को उनके मांगने पर भी फीस का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि छात्रों/छात्राओं के अभिभावकों को संस्था का फीस स्ट्रक्चर उपलब्ध कराना संस्था की बाध्यता है और पारदर्शिता की दृष्टि से यह आवश्यक भी है । अतः आपसे अपेक्षा है कि संस्था की फीस स्ट्रक्चर मांगने वाले छात्रों/अभिभावकों को संस्था द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस का विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वे बैंक से लोन लेने आदि में उसका प्रयोग कर सकें । साथ ही संस्था की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित कराया जाय । यह भी सुनिश्चित करें कि फीस स्ट्रक्चर उपलब्ध कराने हेतु संस्था में रजिस्ट्रेशन कराने आदि के लिये कोई धनराशि जमा करने हेतु उन्हें बाध्य न किया जाए । सूचित है कि संस्था के निर्धारित शुल्क के अंतर्गत जमानत एवं हास्टल संबंधी शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित है । अतः निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त संदर्भ के अतिरिक्त किसी भी मद में कोई धनराशि चार्ज नहीं की जा सकेगी । आपसे यह भी अपेक्षा है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

यह भी सूचित करने की अपेक्षा है कि उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में इसे वित्तीय अनियमितता के श्रेणी में मानते हुए सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की बाध्यता होगी ।

भवदीय


(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।

(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव